

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-47 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पंचम पुत्र सदलू नि० वैश्या पुरवा वेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-353/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भगवती पुत्र स्व० राजा राम नि० खटरिया मौजा नरायनपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-401/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भगवानदीन सोनकर पुत्र संत राम नि० तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-377/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

चोरी की योजना बनाते समय, 06 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद नाजायज चाकू बरामद—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राजबब्बर पुत्र सामंत नि० मुस्लिम टोला कस्बा हरैया थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थ नगर।
02. रिजवान पुत्र खुर्शीद खान नि० 43 डा० जाकिर हुसैन नगर रिंग रोड गोवंडी थाना देवनार जनपद थाणे मुम्बई।
03. जुबेर सावंत पुत्र अकबाल नि० मुस्लिम टोला डेरवा कस्बा हरैया जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थ नगर।
04. मो० आलम पुत्र हकीकुल्लाह नि० सजनी हरैया थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थ नगर।
05. शाहनवाज पुत्र कप्तान नि० सजनी हरैया थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थ नगर।
06. प्रशान्त पवार पुत्र सुभाष पवार नि० 24 हनुमान सोशायटी शान्तीनगर भिवंडी थाना शान्तीनगर जनपद थाणे मुम्बई।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-825/20, धारा 401 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-826/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा बनाम राजबब्बर।
03. मु०अ०सं०-827/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा बनाम रिजवान।
04. मु०अ०सं०-828/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा बनाम मो० जुबेर।
05. मु०अ०सं०-829/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा बनाम मो० आलम।

बरामदगी—

01. 02 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 02 अदद नाजायज चाकू।
03. चोरी करने के उपकरण।
04. 01 अदद डीसीएम।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28/29.10.2020 की रात्रि थाना को नगर के उ०नि० सर्वजीत गुप्ता मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गोल्डन फेरी के पास स्थित पुलिया पर कुछ लोग एक डीसीएम में बैठकर कर चोरी की योजना बना रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण बरामद किए गये। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त राजबब्बर के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, अभियुक्त रिजवान के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, अभियुक्त जुबेर के पास से 01 अदद नाजायज चाकू व अभियुक्त मो० आलम के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्तों को थाना को० नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 सर्वजीत गुप्ता ।
02. उ0नि0 मुकेश पाण्डेय ।
03. उ0नि0 चन्द्र प्रताप सिंह ।
04. उ0नि0 आशीष कुमार ।
05. उ0नि0 रामआशीष मौर्या ।
06. उ0नि0 छैल बिहारी ।
07. का0 संजय कुमार ।
08. का0 सुनील यादव ।
09. का0 अनिल यादव ।
10. का0 अंशुमान पाण्डेय ।
11. का0 नरेन्द्र यादव ।
12. का0 प्रदीप यादव ।
13. का0 ललित यादव ।